कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com Phone/Fax-2767611

पत्रांकः- 3020 /FP/UK/ROAD/146204/2021 दिनॉकः देहरादून 16 जून, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़,
देहरादून।

विषयः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत डिम्मर–सुगल्टा मोटर मार्ग के किमी0 6.00 से ग्राम कोलाढुंगी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.861 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का ई0डी0एस0 दिनांक 30.03.2022 ।

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 30.03.2022 के सम्बन्ध में वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2880/12–1 दिनांक 13.06.2022 के द्वारा से प्राप्त आख्या के क्रम में प्रेषित बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :–

क्र0	चाही गई सूचना	आख्या
1	On Perusal of KML file, it is noticed that village is already connected with the road. If the connectivity required through deep inside the forest then the alignment can also be proposed from the nearest existing road instead of fragmenting the forest from other side which appears very dense.	वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2880/12–1 दिनांक 13.06.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि ग्राम कोलाडुग्री–धारडुंग्री–मैखुरा सोनला मोटर मार्ग (राज्य मार्ग सं0 94) से लगभग 1.50 से 2.00 किमी0 पैदल दूरी पर है पूर्व में कोलाडुग्री गॉव को राज्य मार्ग सं0 94 से जोडने हेतु प्रस्तावित किया गया था, परन्तु ग्राम विडोली तल्ली के वन भूमि धारको द्वारा भूमि न देने सम्बन्धी विवाद किया गया। **(आपत्ति पत्र संलग्न–1)** प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिनॉक 22.05.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरेखण में वन भूमि में चीड के 0–10 के कुल 35 वृक्ष एवं 10–20 व्यास वर्ग से अधिक के कुल 51 चीड के वृक्ष प्रभावित हो रहे है तथा नाप भूमि में चीड के 32 व 3 भीमल के वृक्ष प्रभावित हो रहे है। वर्तमान में मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरेखण में आ रही वन भूमि अत्यन्त विरल हरियाली क्षेत्र है जिसका हरियाली घनत्व 0.3 मात्र है तथा प्रस्तावित वन भूमि के अलावा नाप भूमि के कुछ स्थानों में चीड के वृक्ष सघन वन है।
2	It is also seen that the alternative alignment is parallel to the proposed road which does not serve the purpose. State Government is required to upload the details of the alternative explored from nearest existing road.	वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2880/12–1 दिनांक 13.06.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग गौचर द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 862/1सी0(वन) दिनॉक 03.06.2022 (संलग्नक–2) से अवगत कराया है कि स्वीकृत तथा वैकल्पिक संरेखण दोनो डिम्मर सुगल्टा बणसोली मोटर मार्ग से निर्गत होते है तथा लगभग समानान्तर प्रतीत होते है क्योंकि इन दोनो संरेखण के अतिरिक्त किसी भी संरेखण पर ग्रामीण अपनी भूमि देने हेतु सहमत नहीं है। प्रस्तावित संरेखण पर वृक्षों की संख्या 121 (हरियाली घनत्व 0.3–0.4) है जिसमें से वन भूमि व नाप भूमि में (कुल 118 वृक्ष चीड एवं 03 भीमल नाप भूमि) होने एवं एच0पी0 बैण्ड न होने के कारण उक्त संरेखण का चयन किया गया है। वैकल्पिक संरेखण की लम्बाई 2.50 किमी0 है इस संरेखण पर 2 हेयरबैण्ड पडते है तथा 155 वृक्ष प्रभावित हो रहे है जिसमें वृक्षों की संख्या अधिक है। क्षेत्रीय जनता भी इस संरेखण से सहमत नहीं है। डिम्मर–सुगल्टा–बणसोली मोटर मार्ग के अतिरिक्त विषयगत मोटर मार्ग का कर्णप्रयाग–धारडुग्री कण्डारा सौनला राज्य मार्ग सं0 94 से संरेखण सर्वे का

		प्रयास किया गया था परन्तु ग्राम विडोली एवं फलोटा के ग्रामीणों द्वारा इस संरेखण पर अपनी भूमि देने एवं कई एच0पी0बैण्ड के निर्माण से भविष्य में भूस्खलन के भय के कारण विरोध किया गया है। मोटर मार्ग का निर्माण एस0एच0 94 से होने से ग्राम सुमल्टा में स्थित प्राथमिक विद्यालय से ग्राम कोलाडुग्री के बच्चे मोटर मार्ग पहुंच से वंचित रह जायेंगे, जिस कारण इस विकल्प पर अग्रेत्तर कोई कार्यवाही नहीं की गई है।
3	The NPV calculation sheet is found uploaded on old rates. State Govt may submit /upload NPV calculation sheet as per new rates.	वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2880/12–1 दिनांक 13.06.2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि एन0पी0वी0 की गणना शीट नई दरों पर गठित कर ऑनलाईन अपलोड किया गया है। **(संलग्नक–3)**

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के कम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।

संख्या–3020 / FP/UK/ROAD/146204/2021 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी के पत्रांक 2880/12–1 दिनांक 13.06.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।

(ए0के0 गुप्ता)
वन संरक्षक।

O/C

R PD backup